

# कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती

पत्रांक- 11731 OSD

दिनांक- 23/04/2019

आवास (05542) 246306

कार्यालय(05542) 247155

फैक्स(05542) 246403

E-mail-dmbas@nic.in

कार्यालय-आदेश

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान निषेध है, जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में लोकसभा चुनाव 2019 हेतु जनपद के समस्त मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त/धूमपान मुक्त घोषित किया जाता है। सभी मतदान केन्द्रों पर कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का साइनेज प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर लगाया जाये।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डा०राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिप-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-पुलिस अधीक्षक बस्ती को इस आशय से प्रेषित की लोकसभा चुनाव में कोटपा अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) की धारा-4 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

3-राज्य नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4-समस्त दैनिक समाचार पत्र।

5-सहायक निर्वाचन अधिकारी, बस्ती।

6-मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को प्रत्येक मतदान केन्द्रों हेतु साइनेज बनवाकर तत्काल इस सहायक निर्वाचन अधिकारी बस्ती के कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

7-समस्त जिला/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारी जनपद बस्ती।

(डा०राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।

# कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती

पत्रांक-1173 / OSD

दिनांक-23/04/2019

आवास (05542) 246306

कार्यालय(05542) 247155

फैक्स(05542) 246403

E-mail-dmbas@nic.in

कार्यालय-आदेश

राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान निषेध है, जन सामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में लोकसभा चुनाव 2019 हेतु जनपद के समस्त मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त/धूमपान मुक्त घोषित किया जाता है। सभी मतदान केन्द्रों पर कोटपा अधिनियम 2003 का उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का साइनेज प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर लगाया जाये।

उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।



(डा० राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार /1174-79

प्रतिलिप-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-पुलिस अधीक्षक बस्ती को इस आशय से प्रेषित की लोकसभा चुनाव में कोटपा अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय) की धारा-4 के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।


3-राज्य नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4-समस्त दैनिक समाचार पत्र।

5-सहायक निर्वाचन अधिकारी, बस्ती।

6-मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती को प्रत्येक मतदान केन्द्रों हेतु साइनेज बनवाकर तत्काल इस सहायक निर्वाचन अधिकारी बस्ती के कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

7-समस्त जिला/तहसील/ब्लाक स्तरीय अधिकारी जनपद बस्ती।



(डा० राज शेखर)  
जिलाधिकारी  
बस्ती।